"प्ररुप–7

[नियम 13 (2) और 26 देखें]

प्ररूप सं0.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

भारत निर्वाचन आयोग

विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने/हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप

सेवा में,
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,
सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं. ☐ नाम .....

मैं विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रस्तावित नाम को सम्मिलित करने/हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं,

(1) आवेदक का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(2) ईपीआईसी सं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

स्वयं का मोबाइल संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

नातेदार का मोबाइल संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

---

(2) आवेदन/आक्षेप का विकल्पः (समुचित विकल्प पर सही का निशान लगाए) (कोई एक)

☐ (i) मैं वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हटाने का अनुरोध करता हूं। (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

☐ मृत्यु ☐ अवयस्क ☐ अनुपस्थित/स्थायी रुप से स्थानांतरित

☐ पहले से नामांकित ☐ भारतीय नागरिक नहीं है।

☐ (ii) मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से वर्तमान नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं। (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

☐ मृत्यु ☐ अवयस्क ☐ अनुपस्थित/स्थायी रुप से स्थानांतरित

☐ पहले से नामांकित ☐ भारतीय नागरिक नहीं है।

☐ (iii) मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से निर्वाचक नामावली से अपने नाम को हटाने का अनुरोध करता हूं। (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

☐ स्थायी रुप से स्थानांतरित ☐ पहले से नामांकित ☐ भारतीय नागरिक नहीं है।

मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न (समुचित विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं) ☐ हाँ ☐ नहीं

(3) ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है, निम्नानुसार हैं :

नाम _____ उपनाम _____ ईपीआईसी सं. (यदि उपलब्ध हो) _____

	मकान / भवन / आपर्टमेंट सं.		गली / क्षेत्र / स्थानीय / मोहल्ला / सड़क	
	नगर / ग्राम		डाक घर	
	पिन कोड		तहसील / तालुका / मंडल	
	जिला		राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	

घोषणा

मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से, दंडनीय है।

स्थानः .....

तारीखः .....

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान.....

सुगम्यतात्मक अनुदेशः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यागता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहुदिव्यागता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांगजन के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके / उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

आवेदन की अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं. . . . . तारीख . . . . . .

श्री/श्रीमती/सुश्री_____का प्ररुप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ है

[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है]।

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

प्ररुप–7 आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. **साधारण अनुदेश :**

   (क) आवेदन, किसी निर्वाचन क्षेत्र की विद्यमान निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक द्वारा किया जा सकता है:

   (ख) यह आवेदन किसी रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक के संबंध में कोई आक्षेप करने/किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जिसमें आवेदक स्वयं रजिस्ट्रीकृत है, की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ठि के प्रस्तावित सम्मिलन के संबंध में आक्षेप करने या निर्वाचक नामावली से आवेदक के अपने नाम को हटाने के अनुरोध के लिए किया जा सकता है।

2. **मद संख्यांक 1 (आवेदक का नाम)** : आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी संख्यांक और अपना/नातेदार (पिता/माता/पति/विधिक संरक्षक) की मोबाइल सं. उल्लिखित करें।

3. **मद संख्यांक 2 (आक्षेप/नाम हटाने के आवेदन का विकल्प)** : आवेदक को किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा जिसके लिए वह आवेदन करने का आशय रखता है। उसे नीचे उल्लिखित कारणों, जैसे मृत्यु के कारण, अवयस्क, अनुपस्थिति/स्थायी रुप से स्थानांतरण, उसी स्थान या किसी अन्य स्थान पर पहले से ही निर्वाचन नामावली में नामांकित है, भारतीय नागरिक नहीं है आदि, के किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा कि उसके अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप किया गया है. वह निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए क्यों अर्हित नहीं है। आक्षेप या नाम को हटाने के लिए दिए गए कारणों हेतु सबूत का भार आवेदक पर होता है।

4. **मद सं. 3 (ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है)** : आवेदक को ऐसे व्यक्ति का नाम, उपनाम, ईपीआईसी संख्यांक और पता भरना होगा, जिसकी प्रविष्टि को सम्मिलित करने हेतु आक्षेप किया गया है या हटाना इप्सित है।

5. **घोषणा:** आवेदक को **"घोषणा"** करनी होगी कि आवेदन में वर्णित तथ्य और विशिष्टयां उसकी सर्वोच्च जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। ***कृपया यह नोट करें कि घोषणा के किसी भाग में किया गया कोई मिथ्या कथन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है।***

शाकेमुभो–274–मुनिप–7–7–22–11,88,000.